सं. ए. 12018/09/2014-ईपीआई/वी.आई.

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली 24 नवम्बर, 2016

सूचना

मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, हिमाचल प्रदेश, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की यह मंत्रालय जांच कर रहा है। इस संबंध में, प्रारूप भर्ती नियम तैयार कर लिया गया है और उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

प्रारूप भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने में शामिल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एजेंसियों के समक्ष प्रस्ताव रखने से पूर्व, इस संबंध में सभी भागीदारों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर ऐसी अधिसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विचार करने के लिए टिप्पणियां, यदि कोई हैं, आमंत्रित की जाती हैं। उक्त प्रारूप भर्ती नियमों के संबंध में निर्धारित अवधि में भागीदारों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा नियम/भर्ती नियम के अनुसार विचार किया जाएगा।

अधोहस्ताक्षरी को टिप्पणियां कमरा नं. 508, डी-विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजी जा सकती हैं और सॉफ्टकॉपी barjmohan.meena@nic.in पर भेजी जा सकतीहैं।

(बी.एल.मीणा)
अवर सचिव
दूरभाष: 23061436

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेबल	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (गैर-चिकित्सा)	*04 (2016) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सिविलसेवा, (समूह 'क') राजपत्रित अननुसचिवीय	67700-2080700रू. के वेतन मेट्रिक्स में स्तर 11	चयन	अधिकतम 40 वर्ष केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। **टिप्पण**: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक (i) निजी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जैव-रसायन अथवा माइक्रो-बायोलॉजी अथवा फार्मास्यूटिकल रसायन में एम.एससी डिग्री। (ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त/सांविधिक निकाय/पीएसयू/विश्वविद्यालय/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान से चिकित्सा और जन स्वास्थ्य समस्याओं और मानव प्रयोग के लिए जैविक उत्पादों के निर्माण में 7 वर्ष का अनुसंधान और /अथवा शिक्षण	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हताएं : जी, हां।	सीधी भर्ती के संबंध में दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

अनुभव। अपेक्षित : जैव रसायन अथवा माइक्रो-बॉयोलाजी अथवा फार्मास्यूटिकल रसायन में डाक्टरेट। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संध लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिर्थिल की जा सकती हैं जब यचन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
(i) उप सहायक निदेशक जिसने 56100-177500 रुपये के वेतन मेट्रिक्स (पूर्व संशोधित पीबी-2, 9300-34800 रुपए+ग्रेड वेतन 5400 रुपए) के स्तर 10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा और निर्धारित दो सप्ताह के प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। (ii) फैक्ट्री मैनेजर जिसने 56100-177500 रुपये के वेतन मेट्रिक्स (पूर्व संशोधित पीबी-2, 9300-34800 रुपए+ग्रेड वेतन 5400 रुपए) के स्तर 10 में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । **टिप्पण1**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति में निम्नलिखित शामिल हैं: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सर्तकता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य समूह 'क' विभागीय नियमितीकरण समिति में निम्नलिखित शामिल है: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग - अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन एवं सर्तकता) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रोन्नति और सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और जिन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण:2** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची अधिकारी द्वारा सम्बद्ध ग्रेड/पद पर निर्धारित अर्हक सेवा पूरी करने की तिथि के संदर्भ मे तैयार की जाएगी।		